अनुदान संख्या 13 - दूरसंचार विभाग
GRANT No. 13 - DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess + बचत– Saving -
						(हजार रुपए में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	4146143,00		41461,45,00	33067,18,90	-8394,26,10
पूरक	Supplementary	2,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					2958,21,01
पूंजीगतः	**Capital:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	66691,82,00		75099,44,00	62455,72,82	-12643,71,18
पूरक	Supplementary	8407,62,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					10530,26,40

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग में बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुएः–

1. In the revenue section of grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय– आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	108186.00	90973.76	91170.07	+196.31
पु.	R.	-17212.24			

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess + बचत– Saving -
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2071"	Major Head "2071"					
पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	Pensions and Other Retirement Benefits					
मू.	O.	2065000.00		1698736.00	1739179.02	+40443.02
पु.	R.	-366264.00				
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"					
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas					
मू.	O.	55500.00		..	..	..
पु.	R.	-55500.00				
मुख्य शीर्ष "3275"	Major Head "3275"					
अन्य संचार सेवाएं	Other Communication Services					
मू.	O.	1917417.00				
पू.	S.	2.00		2060613.23	1476369.18	-584244.05
पु.	R.	143194.23				

(I) तेरह शीर्षों के अंतर्गत ₹681322.60 लाख का प्रावधान (दिसम्बर, 2023 में प्राप्त किए गए ₹0.60 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा, जिसमें से ₹681222.30 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(I) Provision of ₹681322.60 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.60 lakh obtained in December, 2023) remained wholly unutilized under thirteen heads; of these ₹681222.30 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2552" –

(A) Major Head "2552"-

(क) "अन्य संचार सेवायें – सार्वभौमिक सेवा दायित्व के लिए सेवा प्रदाताओं को मुआवजा – अन्य संचार सेवायें – सार्वभौमिक सेवा दायित्व के लिए सेवा

(a) "Other Communication Services - Compensation to Service Providers for Universal Service Obligation - Other

प्रदाताओं को मुआवजा" – ₹50000.00 लाख; और

(ख) "अन्य व्यय – सेंटर फ़ार डेवलपमेंट ऑफ़ टेलीमेटिक्स" – ₹5500.00 लाख।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान उत्तर पूर्व क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा ।

(खा) मुख्य शीर्ष "3275" –

(क) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – सार्वभौमिक सेवा दायित्व के लिए सेवा प्रदाताओं को मुआवजा" – ₹41500.00 लाख सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि योजना/ परियोजना के लिए कम मात्रा में निधियों की आवश्यकता होने के कारण।

(ख) "अन्य व्यय" –

(i) "प्रौद्योगिकी विकास और निवेश संवर्धन" – ₹5500.00;

(ii) "एम. टी. एन. एल. बांडों पर ब्याज का भुगतान" – ₹38357.00 लाख;

(iii) "सेंटर फ़ॉर डेवलपमेंट आफ़ टेलीमेटिक्स" – ₹42570.30 लाख (₹0.30 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(iv) "प्रशिक्षण" – ₹1570.60 लाख;

(v) "आई. टी. एस.बी/डब्ल्यू/एस अधिकारियों को प्रशिक्षण" – ₹1299.40 लाख;

(vi) "नवोन्मेष के संवर्धन और टेलीकाम क्षेत्र की

Communication Services - Compensation to Service Providers for Universal Service Obligation" - ₹50000.00 lakhs; and

(b) "Other Expenditure - Centre for Development of Telematics" - ₹5500.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilized due to re-appropriation of funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(B) Major Head "3275" -

(a) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Compensation to service providers for Universal Service Obligation" - ₹41500.00 lakhs - due to requirement of less funds towards Universal Service Obligation Fund scheme/projects.

(b) "Other Expenditure" -

(i) "Technology Development and Investment Promotion" - ₹5500.00 lakhs;

(ii) "Payment of Interest on MTNL Bonds" - ₹38357.00 lakhs;

(iii) "Centre for Development of Telematics" - ₹42570.30 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.30 lakh);

(iv) "Training" - ₹1570.60 lakhs;

(v) "Training to I.T.S/B/W/S officers" - ₹1299.40 lakhs;

(vi) "Provision for Champion Service

भावी प्रौद्योगिकी के इन्क्यूबेशन के लिए चेंपियन सेवा क्षेत्र योजना का प्रावधान" – ₹6000.00 लाख;

(vii) "4–जी स्पेक्ट्रम पर जी. एस. टी. के लिए अनुदान" – ₹221800.00 लाख; और

(viii) "बी. एस. एन. एल. और एम. टी. एन. एल. के स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति लेने वाले कर्मचारियों को वर्धित पेंशन का भुगतान" – ₹267125.00 लाख।

उपर्युक्त आठ शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान नव सृजित शीर्ष में निधियों को अंतरित किए जाने के कारण पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा ।

(II) मुख्य शीर्ष "3451" – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के तहत हुईः–

(का) "सचिवालय – संचार मंत्रालय" – ₹625.31 लाख की बचत (₹1127.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(खा) "संबद्ध कार्यालय" –

(क) "निदेशालय" – ₹3802.17 लाख की बचत (₹32500 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ख) "टेलीक्म्युनिकेशंस इंजीनियरिंग सेंटर" – ₹2043.49 लाख की बचत (₹5300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ग) "सतर्कता दूरसंचार निगरानी प्रकोष्ठ" – ₹8304.59 लाख की बचत (₹28898.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(घ) "संचार लेखा नियंत्रक कार्यालय" – ₹3912.00 लाख की बचत (₹24646.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

Sector Scheme for Promotion of Innovation and Incubation of Future Technology of Telecom Sector" - ₹6000.00 lakhs;

(vii) "Grant for GST on 4G Spectrum" - ₹221800.00 lakhs; and

(viii) "Incremental Pension Payment to voluntarily retiring BSNL and MTNL Employees" - ₹267125.00 lakhs.

Provisions under the above eight heads remained unutilized due to transfer of funds to newly created head.

(II) Under Major Head "3451" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Secretariat - Ministry of Communications" - saving of ₹625.31 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1127.00 lakhs);

(B) "Attached Offices" -

(a) "Directorate" - saving of ₹3802.17 lakhs (against the sanctioned provision of ₹32500.00 lakhs);

(b) "Telecommunications Engineering Centre" - saving of ₹2043.49 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5300.00 lakhs);

(c) "Vigilance Telecom Monitoring Cells" - saving of ₹8304.59 lakhs (against the sanctioned provision of ₹28898.00 lakhs);

(d) "Controller of Communications Accounts Offices" - saving of ₹3912.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹24646.00 lakhs);

(ङ) "राष्ट्रीय दूरसंचार नीति अनुसंधान, नवोन्मेष और प्रशिक्षण संस्थान (एन.टी.आई.पी.आर.आई.टी.)" – ₹899.17 लाख की बचत (₹3091.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(च) "संचार महालेखा नियंत्रक" – ₹793.04 लाख की बचत (₹2050.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(छ) "राष्ट्रीय संचार वित्त संस्थान" – ₹695.78 लाख की बचत (₹1600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ज) "महानिदेशक (दूरसंचार)" – ₹500.95 लाख की बचत (₹1619.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त नौ शीर्षों के अंतर्गत बचतें वेतन और भत्तों, पुरस्कारों और स्थापना संबंधी अन्य व्ययों के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2071" – "सिविल" – के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के तहत हुईं:

(का) "अधिवर्षिता और सेवा निवृत्ति लाभ – साधारण पेंशन" – ₹151179.90 लाख की बचत (₹1316037.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(खा) "पेंशन का संराशिकृत मूल्य – साधारण पेंशन" – ₹49255.72 लाख की बचत (₹117263.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(गा) "ग्रेज्युटी – साधारण पेंशन" – ₹101438.26 लाख की बचत (₹294879.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(घा) "परिवार पेंशन – परिवार पेंशन" – ₹23120.89 लाख की बचत (₹329759.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की

(e) "National Telecommunication Institute for Policy Research, Innovation and Training (NTIPRIT)" - saving of ₹899.17 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3091.00 lakhs);

(f) "Controller General of Communications Accounts" - saving of ₹793.04 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2050.00 lakhs);

(g) "National Institute of Communication Finance" - saving of ₹695.78 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1600.00 lakhs); and

(h) "Director General (Telecom)" - saving of ₹500.95 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1619.00 lakhs).

Savings under the above nine heads were due to requirement of less funds towards pay and allowances, rewards and other establishment related expenses.

(III) Under Major Head "2071" - "Civil" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Superannuation and Retirement Allowances - Ordinary Pensions" - saving of ₹151179.90 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1316037.00 lakhs);

(B) "Commuted Value of Pensions - Ordinary Pensions" - saving of ₹49255.72 lakhs (against the sanctioned provision of ₹117263.00 lakhs);

(C) "Gratuities - Ordinary Pensions" - saving of ₹101438.26 lakhs (against the sanctioned provision of ₹294879.00 lakhs);

(D) "Family Pensions- Family Pensions" - saving of ₹23120.89 lakhs (against the sanctioned

तुलना में) हुई; और

(ङा) "छुट्टी नकदीकरण लाभ – साधारण पेंशन" – ₹1156.82 लाख की बचत (₹5168.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त पाँच शीर्षों के अंतर्गत बचतें पेंशन संबंधी प्रभारों के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुईं।

(IV) मुख्य शीर्ष "3275" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के तहत हुईं:

(का) "सेवा प्रदाताओं को सार्वभौमिक सेवा बाध्यता के लिए मुआवजा – अनुसंधान और विकास के लिए मुआवजा" – ₹37151.74 लाख की बचत (₹40000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के लिए निधियों की कम आवश्यकता होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(खा) "उद्योगों/कंपनियों को सहायता – भारत में टेलीकाम और नेटवर्किंग उत्पादों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादकता सह उत्पादन प्रोत्साहन योजना (पी. एल. आई.)" – ₹50836.63 लाख की बचत (₹80000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पी. एल. आई. लाभार्थियों से कम संख्या में दावे प्राप्त होने के कारण वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(गा) "सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को सहायता– बी. एस. एन. एल. को व्यवहार्यता अंतर के लिए वित्त पोषण (वी. जी. एफ़.)" – ₹54000.00 लाख की बचत (₹174000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(घा) "आरक्षी निधियों को अंतरण – सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि को अंतरण" – ₹440000.00 लाख की बचत (₹540000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने

provision of ₹329759.00 lakhs); and

(E) "Leave Encashment Benefits - Ordinary Pensions" - saving of ₹1156.82 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5168.00 lakhs).

Savings under the above five heads were due to requirement of less funds towards pensionary charges.

(IV) Under Major Head "3275" - savings occurred under the following heads: -

(A) "Compensation to Service Providers for Universal Service Obligation - Compensation for R & D" - saving of ₹37151.74 lakhs (against the sanctioned provision of ₹40000.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards R&D projects and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(B) "Assistance to Industries/Companies - Production Linked Incentive (PLI) Scheme to Promote Telecom and Networking Products Manufacturing in India" - saving of ₹50836.63 lakhs (against the sanctioned provision of ₹80000.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to receipt of less claims from PLI beneficiaries.

(C) "Assistance to Public Sector and Other Undertakings-Viability Gap Funding (VGF) to BSNL" - saving of ₹54000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹174000.00 lakhs); and

(D) "Transfer to Reserve Fund- Transfer to Universal Service Obligation Fund" - saving of ₹440000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹540000.00 lakhs);

Savings under the above two heads were due to reduction of provision at revised estimates stage by

के कारण हुई।

the Ministry of Finance.

2.(I) उपर्युक्त बचतें आंशिक रूप से (₹1239235.43 लाख) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान बढाने के लिए प्रयुक्त हो गईं जैसा कि दिसंबर, 2023 और फ़रवरी, 2024 में मुख्य शीर्ष "3275" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत ₹2.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

2.(I) The above savings were partly (₹1239235.43 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to parliament while obtaining token supplementary grant of ₹2.00 lakhs in December, 2023 and February, 2024 under Major Head "3275" under the following heads:-

(का) "प्रशिक्षण" –

(क) "संचार वित्त प्रशिक्षण संस्थान" – ₹838.25 लाख, तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹837.32 लाख हुआ।

(ख) "आई. टी. एस./बी. डब्ल्यू. एस. अधिकारियों को प्रशिक्षण" – ₹285.90 लाख, तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹285.24 लाख हुआ।

(A) "Training"-

(a) "Training Institute for Communication Finance"- ₹838.25 lakhs. Actual excess, however, was ₹837.32 lakhs.

(b) "Training to I.T.S/B.W.S. Officers" - ₹285.90 lakhs. Actual excess, however, was ₹285.24 lakhs.

(खा) "अनुसंधान/अनुसंधान विकास – तकनीकी विकास और निवेश संवर्धन" – ₹7372.00 लाख, तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹7371.53 लाख हुआ।

(B) "Research/Research Development - Technology Development and Investment Promotion" - ₹7372.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹7371.53 lakhs.

(गा) "सार्वभौमिक सेवा बाध्यता के लिए सेवा प्रदाताओं को मुआवजा – सेवा प्रदाताओं को मुआवजा" – ₹539440.00 लाख, तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹96483.73 लाख हुआ।

(C) "Compensation to Service Providers for Universal Service Obligation - Compensation to Service Providers"- ₹539440.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹96483.73 lakhs.

(घा) "उद्योगों/कंपनियों को सहायता – नवोन्मेष को बढावा देने और दूरसंचार क्षेत्र की भावी प्रौद्योगिकी को शामिल करने के लिए चेंपियन सेवा क्षेत्र योजना के लिए प्रावधान" – ₹4782.68 लाख, तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹4782.02 लाख हुआ।

(D) "Assistance to Industries/Companies - Provision for Champion Service Sector Scheme for Promotion of Innovation and incubation of Future Technology of Telecom Sector" - ₹4782.68 lakhs. Actual excess, however, was ₹4782.02 lakhs.

(ङ) "स्वायत्तशासी निकायों, सेंटर फ़ार डेवलपमेंट ओफ़ टेलीमेटिक्स को सहायता" – ₹51566.00 लाख, तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹51565.92 लाख हुआ।

(E) "Assistance to Autonomous Bodies - Centre for Development of Telematics" - ₹51566.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹51565.92 lakhs.

(चा) "सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को सहायता"–

(F) "Assistance to Public Sector and Other Undertakings" -

(क) "बांडों के मूलधन का भुगतान" – ₹86499.60 लाख।

(ख) "ब्याज बांडों का भुगतान" – ₹38323.00 लाख, तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹38322.26 लाख हुआ।

(ग) "4जी स्पेक्ट्रम पर जीएसटी के लिए अनुदान" – ₹221800.00 लाख, तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹221799.99 लाख हुआ।

(घ) "बी. एस. एन. एल. और एम. टी. एन. एल. के स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति लेने वले कर्मचारियों को वृद्धिशील पेंशन का भुगतान" – ₹248818.00 लाख, तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹212742.36 लाख हुआ।

ङ) "आई. टी. आई. बंगलौर को मुआवजा/वित्तीय राहत" – ₹15430.00 लाख, तथापि वास्तविक अधिक व्यय ₹15428.96 लाख हुआ।

(छा) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – सेवा प्रदाताओं को सार्वभौमिक सेवा दायित्व के लिए मुआवजा" – ₹24080.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹22663.72 लाख हुआ।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:–

(का) मुख्य शीर्ष "3451" – "संबद्ध कार्यालय केंद्रीय निगरानी प्रणाली प्रचालन और रखरखाव" – ₹4577.96 लाख का अधिक व्यय (₹5000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्थापना संबंधी अन्य व्ययों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष "3275" –

(क) "सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को सहायता – गारंटी शुल्क को हटाना" – ₹6528.00 लाख का अधिक व्यय (₹17420.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) गारंटी शुल्क को हटाने के लिए

(a) "Payment of Principal amount of Bonds" - ₹86499.60 lakhs.

(b) "Payment of Interest Bonds" - ₹38323.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹38322.26 lakhs.

(c) "Grant for GST on 4G Spectrum" - ₹221800.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹221799.99 lakhs.

(d) "Incremental Pension Payment to voluntarily Retiring BSNL and MTNL Employees" - ₹248818.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹212742.36 lakhs.

(e) "Compensation/Financial Relief to ITI Bangalore" - ₹15430.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹15428.96 lakhs.

(G) "Tribal Area Sub-Plan - Compensation to Service Provider for Universal Service Obligation" - ₹24080.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹22633.72 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "3451" - "Attached Offices-Central Monitoring System - Operation and Maintenance"- excess of ₹4577.96 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards other establishment related expenses.

(B) Major Head "3275" -

(a) "Assistance to Public Sector and Other Undertakings - Waiver of Guarantee Fee" - excess of ₹6528.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹17420.00 lakhs)

अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ख) "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग – अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, जेनेवा" – ₹772.07 लाख का अधिक व्यय (₹2230.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, जेनेवा के लिए अंशदान के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(III) तीन शीर्षों के अंतर्गत ₹1061.94 लाख का अधिक व्यय हुआ, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक परंतु ₹500.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 17 प्रतिशत से 22 प्रतिशत तक था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में समग्र बचतें (₹1264371.18 लाख) दिसंबर, 2023 और फ़रवरी, 2024 में प्राप्त किए गए ₹840762.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और स्वीकृत प्रावधान का 17 प्रतिशत थी।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :–

was due to requirement of additional funds towards waiver of guarantee fee.

(b) "International Co-operation - International Telecommunication Union, Geneva" - excess of ₹772.07 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2230.00 lakhs) was due to requirement of additional funds toward contribution for International Telecommunication Union, Geneva.

(III) Under three heads excess of ₹1061.94 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 17 percent to 22 percent of the sanctioned provision.

3. In the capital section of the grant, the overall savings (₹1264371.18 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹840762.00 lakhs obtained in December, 2023 and February, 2024 and constituted 17 percent of the sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads :-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "4552"	Major Head "4552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	71580.00			
पू.	S.	1.00	..	..	..
पु.	R.	-71581.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष “4859”	Major Head “4859”				
दूरसंचार और इलेक्ट्रानिक उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Telecommunication and Electronic Industries				
मू.	O.	16000.00	..	..	..
पु.	R.	-16000.00			
मुख्य शीर्ष “5275”	Major Head “5275”				
अन्य संचार सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Other Communication Services				
मू.	O.	6581602.00	6456917.60	6245572.82	-211344.78
पू.	S.	840761.00			
पु.	R.	-965445.40			

(I) नौ शीर्षों के अंतर्गत ₹132156.00 लाख का प्रावधान (दिसम्बर, 2023 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा, जिसमें से ₹132081.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गएः–

(का) मुख्य शीर्ष “4552” –

(क) “अन्य संचार सुविधायें – भारत नेट” – ₹50000.00 लाख; और

(ख) “अन्य संचार सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय – अन्य व्यय – रक्षा सेवाओं पर ओ. एफ़. सी. आधारित नेटवर्क” – ₹21581.00 लाख।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग के लिए कार्यात्मक शीर्ष को निधियों के पुनर्विनियोग

(I) Provision of ₹132156.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in December, 2023) remained wholly unutilized under nine heads; of these ₹132081.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head “4552”-

(a) “Other Communication Facilities - Bharat Net” - ₹50000.00 lakhs; and

(b) “Capital Outlay on other Communication Services - Other Expenditure - OFC based net-work for Defence Services” - ₹21581.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilized due to re-appropriation of funds to the functional heads for utilization on

किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(खा) मुख्य शीर्ष "4859" – "सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश – आई. टी. आई. पुनरुद्धार (इक्विटी निवेश)" – ₹16000.00 लाख – वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुआ।

(B) Major Head "4859" - "Investment in Public Sector and other Undertakings - ITI Revival (Equity Investment)" - ₹16000.00 lakhs - due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(गा) मुख्य शीर्ष "5275" –

(क) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – भारत नेट" – ₹41500.00 लाख – भारत नेट योजनाओं/परियोजनाओं के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

ख) "अन्य व्यय – संचार वित्त प्रशिक्षण संस्थान" – ₹3000.00 लाख – नवसृजित शीर्ष में निधियों के अंतरण के कारण हुआ।

(C) Major Head "5275" -

(a) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Bharat Net" - ₹41500.00 lakhs - due to requirement of less funds towards Bharat Net schemes/projects.

(b) "Other Expenditure - Training Institute for Communication Finance" - ₹3000.00 lakhs - due to transfer of funds to newly created head.

(II) मुख्य शीर्ष "5275" – "अन्य व्यय – दूरसंचार कंप्यूटर आपातकालीन प्रत्युत्तर टीम" – ₹35134.00 लाख का मूल प्रावधान ₹9685.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹44819.00 लाख तक बढाया गया। तथापि, मशीनरी और उपकरणों की खरीद नहीं हो पाने के कारण ₹25673.00 लाख (पूरक अनुदान सहित) की बचत हुई।

(II) Under Major Head "5275" - "Other Expenditure - Telecom Computer Emergency Response Team" - the original provision of ₹35134.00 lakhs was augmented to ₹44819.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹9685.00 lakhs. However, there was a saving of ₹25673.00 lakhs (including supplementary grant) - due to non-procurement of machinery & equipment.

(III) मुख्य शीर्ष "5275" – "सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश – बी. एस. एन. एल. और एम. टी. एन. एल. में पूंजी आवाह" – ₹5293700.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹831076.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹6124776.00 लाख तक बढ़ाया गया, जो, तथापि, वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण ₹446271.85 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(III) Under Major Head "5275" - " Investments in Public Sector and other Undertakings - Capital Infusion in BSNL and MTNL" - the original provision of ₹5293700.00 lakhs was augmented to ₹6124776.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹831076.00 lakhs, which, however, remained unutilized to the extent of ₹446271.85 lakhs - due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(IV) मुख्य शीर्ष "5275" – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(IV) Under Major Head "5275" - savings occurred under the following heads:-

(का) "अन्य संचार सुविधायें" –

क) "कार्यालय भवन" – ₹1338.28 लाख की बचत (₹1600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यालय भवन के निर्माण का अनुमोदन नहीं प्राप्त होने और सी. पी. डब्ल्यू. डी. से कम संख्या में बिल प्राप्त होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

ख) "वायरलेस आयोजना और समन्वय" – ₹19999.72 लाख की बचत (₹20000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ए. एस. एम. एस. सॉफ्टवेयर के लिए मशीनरी और उपकरणों की खरीद को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

ग) "निगरानी सेवायें" – ₹45273.10 लाख की बचत (₹47042.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) 5जी नेटवर्क एनालाइजरों के लिए मशीनरी और उपकरणों की खरीद को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

घ) "भारत नेट" – ₹92035.02 लाख की बचत (₹387000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(खा) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना – भारत नेट" – ₹8910.99 लाख की बचत (₹21500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें भारत नेट योजना/परियोजना के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(गा) "आरक्षी निधियों को अंतरण – सार्वभौमिक सेवा बाध्यता निधि को अंतरण" – ₹400000.00 लाख की बचत (₹500000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त

(A) "Other Communication Facilities" -

(a) "Office Building" - saving of ₹1338.28 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1600.00 lakhs) was due to non-approval of construction of office building, less receipt of bills from CPWD and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(b) "Wireless Planning and Co-ordination" - saving of ₹19999.72 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20000.00 lakhs) was due to delay in finalization of procurement of machinery and equipment for ASMS software and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(c) "Monitoring Services" - saving of ₹45273.10 lakhs (against the sanctioned provision of ₹47042.00 lakhs) was due to delay in finalization of procurement of machinery and equipment for 5G Network Analysers and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(d) "Bharat Net" - saving of ₹92035.02 lakhs (against the sanctioned provision of ₹387000.00 lakhs); and

(B) "Tribal Area Sub-Plan- Bharat Net" - saving of ₹8910.99 lakhs (against the sanctioned provision of ₹21500.00 lakhs);

Savings under the above two heads were due to requirement of less funds towards Bharat Net scheme/project.

(C) "Transfer to Reserve Fund - Transfer to Universal Service Obligation Fund" - saving of ₹400000.00 lakhs (against the sanctioned provision of

मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(घा) "अन्य व्यय" –

(क) "वायरलेस सेट और उपकरण" – ₹1197.65 लाख की बचत (₹1200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) टेलीकाम इंजीनियरिंग सेंटर के तहत विभिन्न प्रयोगशालाओं के लिए मशीनरी और उपकरणों की खरीद नहीं होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(ख) "रक्षा सेवाओं के लिए ओ. एफ़. सी. आधारित नेटवर्क" – ₹84875.93 लाख की बचत (₹194220.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परियोजना के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(ग) "दूरसंचार परीक्षण और सुरक्षा प्रमाणन केंद्र" – ₹2211.81 लाख की बचत (₹2400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) "नेटवर्क सुरक्षा परियोजना उत्कृष्टता केंद्र" और "5जी सिक्यूरिटी टेस्ट बेड परियोजना" के लिए अनुमोदन नहीं मिलने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

घ) "डिजिटल आसूचना यूनिट परियोजना" – ₹17000.00 लाख की बचत (₹22000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन कर्ता अभिकरण को निधियों की कम आवश्यकता होने के कारण हुई।

4. उपर्युक्त बचतें आंशिक रूप से (₹12255.00 लाख) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए प्रयुक्त हो गईं जैसा कि फरवरी 2024 में मुख्य शीर्ष "5275" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत ₹9685.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

₹500000.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(D) "Other Expenditure" -

(a) "Wireless Sets and Equipment" - saving of ₹1197.65 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1200.00 lakhs) was due to non-procurement of machinery and equipment for various Labs under Telecom Engineering Centre and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(b) "OFC based network for Defence Services" - saving of ₹84875.93 lakhs (against the sanctioned provision of ₹194220.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards projects.

(c) "Telecom Testing and Security Certification Centre" - saving of ₹2211.81 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2400.00 lakhs) was due to non-approval of "Centre of Excellence for Network Security project" and "5G Security Test Bed project" and reduction of provision at revised estimates stage.

(d) "Digital Intelligence Unit Project" - saving of ₹17000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹22000.00 lakhs) was due to requirement of less funds by the implementing agency.

4. The above savings were partly (₹12255.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grants of ₹9685.00 lakhs in February, 2024 under Major Head "5275" - under the following heads:-

(का) “प्रशिक्षण संचार वित्त प्रशिक्षण संस्थान” – ₹2500.00 लाख।

(खा) “अन्य व्यय भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण” – ₹9755.00 लाख।।

5- ***भारतीय टेलीकाम विनियामक प्राधिकरण सामान्य निधिः–***

भारतीय टेलीकाम विनियामक प्राधिकरण (टी. आर. ए. आई.) की स्थापना 28 मार्च, 1997 को अधिनियमित किए गए भारतीय टेलीकाम विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के तहत की गई थी। भारतीय टेलीकाम विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2000 द्वारा इस प्राधिकरण का पुनर्गठन किया गया। टी. आर. ए. आई. का प्रयास अपेक्षाकृत बेहतर गुणवत्ता के साथ और वहनीय मूल्यों पर टेलीकाम के क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक प्रतिस्पर्धा लाने की रही है। एन. टी. पी. 1999 के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए दिनांक 09 जनवरी, 2004 की सरकारी अधिसूचना के द्वारा प्रसारण और केबिल सेवायें भी टी. आर. ए. आई. के दायरे में आ गई हैं। टी. आर. ए. आई. को अनुदान केंद्रीय सरकार द्वारा दिया जाता है।

वर्ष 2023–24 के लिए इस निधि का लेखा इस प्रकार था:–

(A) “Training - Training Institute for Communication Finance” - ₹2500.00 lakhs.

(B) “Other Expenditure- Telecom Regulatory Authority of India” - ₹9755.00 lakhs.

5. *Telecom Regulatory Authority of India General Fund: -*

The Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) was established under the Telecom Regulatory Authority of India Act 1997 enacted on 28th March 1997. The TRAI (Amendment) Act, 2000 led to reconstitution of the Authority. TRAI has endeavored greater competition in telecom sector together with better quality and affordable prices. In order to meet the objectives of NTP, 99 vide notification of the Government dated 09th January 2004, broadcasting and cable services have also come under the purview of TRAI. The Grants for TRAI is made by the Central Government.

The Account of the Fund for 2023-24 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

प्रारंभिक शेष राशि	Opening Balance	49,63,70
प्राप्तियां	Receipts	315,38,51
भुगतान	Payments	311,90,00
अंतिम शेष राशि	Closing Balance	53,12,21

6- ***सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधिः–***

नई दूरसंचार नीति, 1999 (एन. टी. पी 99) में वहनीय और उचित मूल्य पर सभी को मूल दूरसंचार सेवाओं तक पहुंच की परिकल्पना की गई है। सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यू. एस. ओ.) को पूरा करने के लिए संसाधन सार्वजनिक सेवा लेवी (यू. एस. एल) के माध्यम से सृजित की जानी है जो विभिन्न लाइसेंस धारकों के अंतर्गत आपरटरों द्वारा अर्जित राजस्व का प्रतिशत होगी। लाइसेंस शुल्क (एल. एफ़.) के

6. *Universal Service Obligation Fund :-*

The New Telecom Policy, 99 (NTP-99) envisages provision of access to basic telecom services to all at affordable and reasonable prices. The resources for meeting the Universal Service Obligation (USO) are to be generated through a Universal Service Levy (USL) which would be a percentage of the revenue earned by the operators

घटक के रूप में सेवा प्रदातों से सार्वभौमिक सेवा लेवी (यू. एस. एल.) के लिए संग्रहीत राशि भारत की समेंकित निधि में जमा की जाती है और सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि को अंतरण के लिए निधियों का आवंटन बजटीय कार्यविधि के अनुसार संसदीय अनुमोदन द्वारा किया जाता है।

under various licenses. Collections towards Universal Service Levy (USL) from service providers as a component of License Fee (LF) are credited to the Consolidated Fund of India and allotment of funds for transfer to Universal Service Obligation Fund is made through Parliamentary approval as per budgetary procedure.

वर्ष 2023–24 के लिए इस निधि का लेखा इस प्रकार था:–

The Account of the Fund for 2023-24 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

प्रारंभिक शेष	Opening Balance	50000,00,00
प्राप्तियां	Receipts	2000,00,00
भुगतान	Payments	8380,49,72
अंतिम शेष	Closing Balance	43619,50,28